(2)

संख्या : 2502/प्र/ श०वि० / आ०–03–59(एच०के०एम०) / 2003

प्रेषक,

पी०के० महान्ति,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मेलाधिकारी,
अर्द्धकुम्भ–2004
हरिद्वार, उत्तरांचल ।

आवास एवं शहरी विकास अनुभाग देहरादून, दिनांक 17 जून, 2004

विषय : **वित्तीय वर्ष 2003–04 अर्द्धकुम्भ मेला, हरिद्वार की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित कार्यो की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र सं0–1952 / एस0टी0 / मेला / बजट दिनांक 28 अप्रैल, 2004 एवं पत्र सं0–1958 / एस0टी0 / मेला / बजट दिनांक 29 अप्रैल, 2004, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित संलग्न सूची मे उल्लिखित 06 योजनाओ हेतु प्रेषित 605.79 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रू0 586.87 लाख (रूपये पांच करोड़ छियासी लाख सतासी हजार मात्र) की लागत के आगणन की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए रूपये 235.00 लाख (रूपये दो करोड पैंतीस लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को बैंक ड्राफट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी और इस धनराशि का दिनांक 31–03–2005 तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदो के लिये किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदो के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा मे धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना / मद में नहीं किया जा सकेगा।

(3) स्वीकृत धनरशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं / कार्यो पर सम्बन्धित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(4) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी।

16/6/04

(5) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। एक मुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किसी तकनीक अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता ही उचित किश्तों मे आहरित किया जायेगा।

(7) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

(8) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

(9) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा अवश्य करा लिया जाये एवं निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाये।

(10) निर्माण कार्य पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये, तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(11) कार्य पूर्ण होने पर 31–3–2005 तक उक्त कार्यो की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(12) कार्यो की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभाग/निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। कार्य की समयबद्धता हेतु मेलाधिकारी,निर्माण ऐजेन्सी से अनुबन्ध करके उन पर पैनाल्टी क्लाज लगाये जाने पर भी विचार कर सकते हैं।

(13) आगणन में उल्लिखित दरों को विश्लेषण विभाग द्वारा मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(14) उपकरणों/सामग्रियों आदि का डी०जी०एस० एण्ड डी० की दरों पर अथवा टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

(15) वित्त विभाग के शासनादेश सं०–03–वित्त विभाग/टी०ए०सी०–अनुभाग देहरादून दिनांक 23–10–2003 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

2. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्यय के अनुदान सं०–13–लेखा शीर्षक 2217–शहरी विकास–80–सामान्य–आयोजनागत–800–अन्य–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–01–हरिद्वार कुम्भ

16/6/04

मेला हेतु अवस्थापना सुविधा– 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0: 597 वि0अनु0–3/2003 दि0 15 जून, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

संलग्नक – यथोपरि ।

(पी0के0 महान्ति)
सचिव

संख्या :2502-V (I)/श0वि0/आ0–03 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम), लेखा परीक्षा उत्तरांचल, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कैम्प कार्यालय, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार
4. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
5. अधिशासी अभियन्ता, पेयजल निगम, देहरादून।
6. नियोजन प्रकोष्ठ/वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
8. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल शासन।
9. श्री एल0एम0 पन्त, वित्त, बजट अनुभाग।
10. एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तरांचल शासन।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

16/6/04

(डी0के0 गुप्ता)
अपर सचिव

संख्या :1502 /9/ श0वि0 / आ0–03–59(एच0के0एम0) / 03 दिनांक 17 जून 2004 का संलग्नक ।

क्रम सं0	योजना का नाम	विभाग का प्रेषित आगणन की कुल लागत	टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोंपरांत आकंलित एवं स्वीकृत की जा रही लागत	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1.	हर की पैड़ी के समीप नाइसोता स्टील ट्रस सेतु की मरम्मत का कार्य ।	6.67	5.83	5.83
2.	हर की पैड़ी के समीप भीमगौड़ा सेतु के घास पन्तद्वीप साईड की सीढ़ियों एवं अवछिन्न धारा में मिट्टी हटाने का कार्य।	1.36	1.31	1.31
3.	खानपुर–दल्लावाला मार्ग का सुधार	418.44	406.42	143.55
4.	लक्ष्मण झूला में राजस्व गेस्ट हाउस का विस्तारीकरण ।	18.64	12.84	12.84
5.	स्वर्गाश्रम–लक्ष्मण झूला क्षेत्र में स्थाई पेयजल वितरण प्रणाली का बिछाया जाना।	145.47	145.47	56.47
6.	ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र में अर्द्धकुम्भ मेला–2004 के अन्तर्गत लक्ष्मण झूला मार्ग से त्रिवेणी घाट तक सड़क हाट मिक्स का कार्य।	15.21	15.00	15.00
	कुल योग	605.79	586.87	235.001

(रूपये दो करोड़ पैंतीस लाख मात्र)

16/6/04

(डी0के0गुप्ता)
अपर सचिव।

NIC